



## **प्रेस विज्ञप्ति**

**12.12.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत एक्सिस बैंक द्वारा दायर आवेदन के समर्थन में, मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके साझेदारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान जब्त की गई **66.93 करोड़ रुपये** मूल्य की चार अचल संपत्तियों को एक्सिस बैंक को वापस कर दिया।

केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी-1) द्वारा चेन्नई में आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 477ए के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। यह एफआईआर एक्सिस बैंक द्वारा मेसर्स सरवाना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) के खिलाफ दायर शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि फर्म ने वित्तीय विवरणों में हेरफेर, इन्वेंट्री को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करके एक्सिस बैंक से धोखाधड़ी से 118.88 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया; फर्म ने ऋण राशि का दुरुपयोग किया, कार्यशील पूंजी सीमा का गलत इस्तेमाल किया और कई खातों के माध्यम से बड़ी रकम का लेन-देन किया। एक्सिस बैंक के साथ ऋण खाते 30 जुलाई 2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए, जिन्हें बाद में धोखाधड़ी और जानबूझकर चूक के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे एक्सिस बैंक को 81.90 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।

पीएमएलए जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने निजी ऋणों को चुकाने के लिए व्यवस्थित रूप से धन को निजी खातों और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया। ईडी ने दो अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 74.04 करोड़ रुपये मूल्य की 8 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया, जिनकी पुष्टि बाद में न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा 6 जून 2023 और 14 मई 2024 को की गई। इसके बाद ईडी ने 14 अगस्त 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की।

एक्सिस बैंक ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत चार अचल संपत्तियों की बहाली के लिए विशेष न्यायालय में याचिका दायर की। ईडी ने इस पर सहमति जता दी क्योंकि कुर्की पीड़ित बैंक के हित में की गई थी। माननीय विशेष न्यायालय ने दिनांक 04.09.2025 के आदेश द्वारा जनहित और पीड़ित बैंक के नुकसान को ध्यान में रखते हुए 66.93 करोड़ रुपये मूल्य की चार संपत्तियों को बहाल कर दिया।